



पत्रांक: ए0के0टी0यू0/कुस0का0/2022/ 17164

दिनांक: 3-9-2022

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थान।

विषय: असंरचनात्मक पूरक सेवा डाटा (यू.एस.एस.डी.) आधारित मोबाइल बैंकिंग तथा भुगतान संबंधी सेवाओं के लिए दूरसंचार टेरिफ (68वाँ संशोधन) पर भारत सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना दिनांक 07.04.2022 के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में शासन के फाइल संख्या:16-3099/31/2022-3-151/201183/2022, दिनांक: 11.08.2022 के साथ आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 के पत्र दिनांक: 01.07.2022(प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। शासन के उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अध्यक्ष, भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 11.07.2022 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में यू.एस.एस.डी. आधारित मोबाइल बैंकिंग तथा भुगतान संबंधी सेवाओं के संबंध में अधिकाधिक प्रचार-प्रसार कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः कृपया अपेक्षा है कि शासन के पत्र के साथ संलग्न आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 के पत्र दिनांक: 01.07.2022 में दिये गये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय

(डॉ0 आर0 के0 सिंह)

उप कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त।

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 को पत्र दिनांक 11.08.2022 के क्रम में सूचनार्थ।
2. कुलसचिव, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।

(डॉ0 आर0 के0 सिंह)

उप कुलसचिव

1/201183/2022

ई-मेल

शीर्ष प्राथमिकता/अति महत्वपूर्ण

प्रेषक,

कृपा शंकर सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलसचिव, ए0के0टी0यू, लखनऊ।
2. कुलसचिव, एच0बी0टी0यू, कानपुर।
3. कुलसचिव, एम0एम0एम0टी0यू0, गोरखपुर।
4. निदेशक, बुंदेलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झांसी।
5. निदेशक, कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, सुल्तानपुर।
6. निदेशक, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर।
7. निदेशक, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बांदा/बिजनौर/अम्बेडकरनगर।
8. निदेशक, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, कन्नौज/मैनपुरी/सोनभद्र/आजमगढ़।
9. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
10. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ

दिनांक: 11/08/2022

विषय:- असंरचनात्मक पूरक सेवा डाटा (यू0एस0एस0डी0) आधारित मोबाइल बैंकिंग तथा भुगतान सम्बन्धी सेवाओं के लिए दूरसंचार टेरिफ (68 वॉ संशोधन) पर भारत सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना दिनांक 07.04.2022 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-1 के पत्र दिनांक 01.07.2022 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अध्यक्ष, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 11.07.2022 में दिये गये निर्देशों के क्रम में यू0एस0एस0डी0 आधारित मोबाइल बैंकिंग तथा भुगतान सम्बन्धी सेवाओं हेतु भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विभाग से संबंधित संस्थाओं/निगमों में अधिकाधिक प्रचार-प्रसार कराये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-1 के पत्र दिनांक 01.07.2022 में की गई अपेक्षानुसार यू0एस0एस0डी0 आधारित मोबाइल बैंकिंग तथा भुगतान सम्बन्धी सेवाओं हेतु भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विभाग से संबंधित संस्थाओं में अधिकाधिक प्रचार-प्रसार कराये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोक्त।

Signed by कृपा शंकर सिंह

Date: 11-08-2022 15:27:39

Reason: Approved
(कृपा शंकर सिंह)

विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्त

प्रतिनिधि संलग्नक सहित प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:- यथोक्त।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर सिंह)

विशेष सचिव।

F.O/D.R.

₹

Reg
11/8/226447
16/8/22

AR (cont)

27/7
16/8/22Dr. S. Mishra
PK for circulation
m.a. dw
16/8/224733
18-8-22

संख्या 2367 प्रमुख सचिव/व्या.शि.कां.वि./प्रा.शि./2022 संख्या-भा0 स0-90/78-1-2022

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,

अपर मुख्य सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/

प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।

VS (K)

488/RS(KSS)/SA.01/22
U.S

(सुमेश चन्द शर्मा)

प्रमुख सचिव
प्राथमिक शिक्षा व्यावसायिक
शिक्षा तथा कौशल विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

05/08/2022

(कृपा शासन)

उ०प्र० शासन

आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 01 जुलाई 2022

विषय:- असंरचनात्मक पूरक सेवा डाटा (यू०एस०एस०डी०) आधारित मोबाइल बैंकिंग तथा भुगतान सम्बन्धी सेवाओं के लिए दूरसंचार टैरिफ (68 वाँ संशोधन) पर भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना दिनांक 07 अप्रैल, 2022 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अध्यक्ष, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, भारत सरकार के अर्द्ध शासकीय पत्र सं०-C/(5)/2021 FEA-II, दिनांक 11 जुलाई, 2022 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराना है कि असंरचनात्मक पूरक सेवा डाटा (यू०एस०एस०डी०) आधारित मोबाइल बैंकिंग तथा भुगतान सम्बन्धी सेवाओं के लिए दूरसंचार टैरिफ (68 वाँ संशोधन) पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 07 अप्रैल, 2022 को राजपत्र अधिसूचना जारी की गयी है, जिसको उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त विभागों तथा उनसे सम्बन्धित संस्थाओं/निगमों में संचालित कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- अवगत कराना है कि नागरिक मोबाइल बैंकिंग सेवार्ये यू०एस०एस०डी० के माध्यम से (99) बिना किसी स्मार्टफोन और डाटा/इन्टरनेट कनेक्शन के प्राप्त की सकती हैं। इस सेवा का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को मुख्यधारा की बैंकिंग (Mainstream Banking) सेवाओं से जोड़ना है। यह सेवा 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।

3- यह भी अवगत कराना है कि आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण आवादी इस सेवा के मुख्य लक्षित उपयोगकर्ता है, जोकि अभी भी फीचर फोन्स का उपयोग करते हैं। पूर्व में उक्त सेवा हेतु 50 पैसे पर यू०एस०एस०डी० सेशन शुल्क नागरिक से लिया जाता था, जिसको अब भारत सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया यू०एस०एस०डी० आधारित मोबाइल बैंकिंग तथा भुगतान सम्बन्धी सेवाओं हेतु उक्त निर्देशों के अनुपालन हेतु

5/8/22
S.S. / 5/8/22
05/07/2022

अपने से संबंधित संस्थाओं/निगमों में अधिकाधिक प्रचार-प्रसार कराये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)

अपर मुख्य सचिव

संख्या-भा0स0-90(1)/78-1-2022 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आई०टी० एवं इले० विभाग, उ०प्र० शासन।
3. राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उ.प्र. अपट्रान बिल्डिंग, गोमती नगर, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० डेस्को, अपट्रान बिल्डिंग, गोमती नगर लखनऊ।
5. हेड. एस. ई.एम.टी. उ०प्र०।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(प्रभंजन यादव)
अनु सचिव

Signed by अरविन्द कुमार

Date: 28-07-2022 11:06:57

Reason Approved

2184018/2022/18-78-01099/142/2022

आ.सं. - 90/78-1-2022

No. 6293 TBC-
/MS/GI/2022डा० पी. डी. वाघेला
Dr. P. D. Vaghela

अध्यक्ष
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Chairman
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

TBC- 2168860/2022

ACS, वल्ल/IT

D. O. No. C/(5)/2021-FEA-II
Dated: 11th July 2022

संख्या-1543 /अनुसंआई०टी०/2022

Dear Sh. Mishraji,

(डी० सी० लुकरा)
स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव

Among the programmes initiated to achieve the goal of digital financial inclusion, the Unstructured Supplementary Service Data (USSD) service is one that allows users, even without a smartphone or data/ internet connection, to use mobile banking through the <star>99<hash> code. USSD-based mobile banking can be used for fund transfers, checking account balance, generating bank statement, among other uses. The main objective of the innovative *99# payments service is to allow financial inclusion of the under-banked and economically weaker sections of the society, and integrate them into mainstream banking. In an effort to make this service accessible to all, the service is available in 13 Indian languages, including English.

2. In this context, Department of Financial Services, Ministry of Finance, GoI, had requested the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) for waiving off the charge for USSD transaction to facilitate faster adoption of USSD mode by common people especially in rural/ difficult areas.

3. The Authority held consultations on the issue and concluded that since the USSD target users are generally low income marginalized rural population who are still using feature phones, imposing no charge for USSD service, instead of 50 paise per USSD-session earlier, can have a positive impact on number of USSD transactions. The Authority has notified the Telecommunication Tariff (Sixty-Eighth Amendment) Order, 2022 on 7th April 2022 for USSD-based mobile banking and payment services prescribing "Nil" charge per USSD session.

4. The above tariff order came into force from the date of its publication in the Official Gazette i.e. 7th April 2022 and can be accessed at the link

https://trai.gov.in/sites/default/files/Regulation_07042022.pdf. A copy of the same is also forwarded herewith.

It is requested that the contents of said tariff order be given wide publicity so as to make the target group of users aware about the waiver of USSD-based mobile banking and payment service charges.

With Regards,

Your sincerely,

(P. D. Vaghela)

Shri Durga Shankar Mishra
Chief Secretary,
Government of Uttar Pradesh,
101, 'B' Block, Lok Bhawan,
U.P. Secretariat, Lucknow - 226001

श्री दुर्गाशंकर

14/7/22

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, (पुराना मिनटो रोड), नई दिल्ली-110002
Mahanagar Doorsanchar Bhawan, Jawahar Lal Nehru Marg, (Old Minto Road) New Delhi-110002
Tel : 23211236/ 23213409/ Fax : 91-11-23236026/ E-mail : cp@trai.gov.in/ www.trai.gov.in

IS(AT)

का
ग
विभाग

3/7/22

Simulate

का

का
14/7अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग का
अपर मुख्य सचिव
अव-औद्यो वि०, भांडे.टी. एवं दले
एन०आर०आई० विभाग
उ०प्र०

Email

CHIEF SECRETARY OFFICE GOVT OF UP

Regarding Official Gazette notification issued on 7th April, 2022 on Telecommunication Tariff (68th Amendment) for USSD based mobile banking and payment services

From : FA Division, TRAI <fa@traigov.in> Tue, Jul 12, 2022 05:36 PM
Subject : Regarding Official Gazette notification issued on 7th April, 2022 on Telecommunication Tariff (68th Amendment) for USSD based mobile banking and payment services @ 2 attachments
To : CHIEF SECRETARY OFFICE GOVT OF UP <csup@nic.in>

Sir/Madam,

Please find attached herewith a D.O. Letter no. C/(5)/2021-FA-II dated 11th July, 2022 for your information and necessary action.

regards

FEA-II Division
Telecom Regulatory Authority of India
Mahanagar Doorsanchar Bhawan,
Jawahar Lal Nehru Marg (Old Minto Road),
New Delhi-110002



Uttar Pradesh.pdf
54 KB

TTO(68th Amendment) Notification.pdf
2 MB



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07042022-234961
CG-DL-E-07042022-234961

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 7, 2022/चैत्र 17, 1944

No. 185]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 7, 2022/CHAITRA 17, 1944

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2022

फा. क्र. सी/(5)/2021-एफईए-II.—धारा 11 की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खंड (बी) के उप-खंड (i) के माथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की उक्त धारा की उप-धारा (1) के अनुसार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देता है, अर्थात् :-

दूरसंचार टैरिफ (अडसठवां संशोधन)

आदेश, 2022

(2022 का 03)

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ:

(1) यह आदेश को दूरसंचार टैरिफ (अडसठवां संशोधन) आदेश, 2022 कहा जा सकता है।

(2) यह आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

2. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 की अनुसूची II में, मट (8) के तहत, उप-मट (8.ए) के लिए, निम्नलिखित उप-मट और उसमें संबंधित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

मद	टैरिफ
"(8.ए) यूएनएनडी-आधारित मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवाओं के लिए आउटगोइंग यूएनएनडी मत्र के लिए टैरिफ	शून्य"

डॉ. एम.पी. तंगीराना, प्रधान सलाहकार (एफ.एंड ई.ए.)

[विज्ञापन-III/4/असा./07/2022-23]

नोट 1 - दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या 99/3 दिनांक 9 मार्च, 1999 के तहत प्रकाशित किया गया था. और बाद में नीचे दिए गए अनुसार संशोधित किया गया था: -

संशोधन क्र.	अधिसूचना संख्या और तिथि
1वां	301-4/99-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 30.3.1999
2वां	301-4/99-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 31.5.1999
3वां	301-4/99-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 31.5.1999
4वां	301-4/99-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 28.7.1999
5वां	301-4/99-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 17.9.1999
6वां	301-4/99-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 30.9.1999
7वां	301-8/2000-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 30.3.2000
8वां	301-8/2000-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 31.7.2000
9वां	301-8/2000-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 28.8.2000
10 वां	306-1/99-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 9.11.2000
11 वां	310-1(5)/भादूविप्रा-2000 दिनांक 25.1.2001
12 वां	301-9/2000-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 25.1.2001
13 वां	303-4/भादूविप्रा-2001 दिनांक 1.5.2001
14 वां	306-2/भादूविप्रा-2001 दिनांक 24.5.2001
15 वां	310-1(5)/भादूविप्रा-2000 दिनांक 20.7.2001
16 वां	310-5(17)/2001-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 14.8.2001
17 वां	301/2/2002-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 22.1.2002
18 वां	303/3/2002-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 30.1.2002
19 वां	303/3/2002-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 28.02.2002
20 वां	312-7/2001-भादूविप्रा (ईकॉन) 14.3.2002
21 वां	301-6/2002-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 13.6.2002
22 वां	312-5/2002-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 4.7.2002
23 वां	303/8/2002-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 6.9.2002
24 वां	305-2/2003-ईकॉन दिनांक 24.1.2003
25 वां	305-2/2003-ईकॉन दिनांक 12.3.2003
26 वां	305-2/2003-ईकॉन दिनांक 27.3.2003
27 वां	303/6/2003-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 25.4.2003
28 वां	301-51/2003-ईकॉन दिनांक 5.11.2003

29 वां	301-56/2003-इकोन दिनांक 3.12.2003
30 वां	301-4/2004(इकोन) दिनांक 16.1.2004
31 वां	301-2/2004-इको दिनांक 7.7.2004
32 वां	301-37/2004-इको दिनांक 7.10.2004
33 वां	301-31/2004-इको दिनांक 8.12.2004
34 वां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 11.3.2005
35 वां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 31.3.2005
36 वां	312-7/2003-इको दिनांक 21.4.2005
37 वां	312-7/2003-इको दिनांक 2.5.2005
38 वां	312-7/2003-इको दिनांक 2.6.2005
39 वां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 8.9.2005
40 वां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 16.9.2005
41 वां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 29.11.2005
42 वां	301-34/2005-इको दिनांक 7.3.2006
43 वां	301-2/2006-इको दिनांक 21.3.2006
44 वां	301-34/2006-इको दिनांक 24.01.2007
45 वां	301-18/2007-इको दिनांक 5.6.2007
46 वां	301-36/2007-इको दिनांक 24.01.2008
47 वां	301-14/2008-इको दिनांक 17.3.2008
48 वां	301-31/2007-इको दिनांक 1.9.2008
49 वां	301-25/2009-ईआर दिनांक 20.11.2009
50 वां	301-24/2012-ईआर दिनांक 19.4.2012
51 वां	301-26/2011-ईआर दिनांक 19.4.2012
52 वां	301-41/2012-एफ एंड ईए दिनांक 19.09.2012
53 वां	301-39/2012-एफ एंड ईए दिनांक 1.10.2012
54 वां	301-59/2012-एफ एंड ईए दिनांक 05.11.2012
55 वां	301-10/2012-एफ एंड ईए दिनांक 17.06.2013
56 वां	301-26/2012-ईआर दिनांक 26.11.2013
57 वां	312-2/2013-एफ एंड ईए दिनांक 14.07.2014
58 वां	312-2/2013- एफ एंड ईए दिनांक 01.08.2014
59 वां	310-5 (2)/2013-एफ एंड ईए दिनांक 21.11.2014
60 वां	301-16/2014-एफ एंड ईए दिनांक 09.04.2015
61 वां	301-30/2016-एफ एंड ईए दिनांक 22.11.2016
62 वां	301-30/2016-एफ एंड ईए दिनांक 27.12.2016
63 वां	312-1/2017-एफ एंड ईए दिनांक 16.02.2018
64 वां	301-20/2018-एफ एंड ईए दिनांक 24.09.2018
65 वां	301-03/2020-एफ एंड ईए दिनांक 03.06.2020
66 वां	सी-3/7/(5)/2021-एफईए-1 दिनांक 27.01.2022
67 वां	सी-3/7/(5)/2021-एफईए-1 दिनांक 31.03.2022

नोट 2 - व्याख्यात्मक जापन दूरसंचार टैरिफ (अडमठवां संशोधन) आदेश, 2022 के उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता है।

व्याख्यात्मक जापन

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (इसके बाद प्राधिकरण के रूप में संदर्भित) को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (भादूविप्रा अधिनियम) के तहत स्थापित किया गया है। भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 (2) में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है: "भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) में किमी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण समय-समय पर, आदेश द्वारा, सरकारी राजपत्र में उन दरों को अधिसूचित कर सकता है, जिन पर भारत के भीतर और भारत के बाहर दूरसंचार सेवाएं इन अधिनियम के तहत प्रदान की जाएंगी, जिसमें वे दरें भी शामिल हैं जिन पर संदेश भारत के बाहर किमी भी देश में प्रसारित किए जाएंगे; जिनसे प्राधिकरण को विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए दरों को अधिसूचित करने का अधिकार-मिलता है।
2. इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण असंरचित पूरक सेवा डेटा (यूएसएसडी) आधारित मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवा सहित विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ अधिसूचित करता रहा है। यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवा के लिए टैरिफ को समय-समय पर संशोधित दूरसंचार टैरिफ ऑर्डर 1999 की अनुसूची II की मद (8) के तहत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सीमा टैरिफ के रूप में विनिवहित किया गया है। टीटीओ में वर्तमान संशोधन का उद्देश्य यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवाओं के लिए ढांचे में संशोधन करना है। इस व्याख्यात्मक जापन का उद्देश्य इन संशोधन को जारी करने के लिए तर्क और कारण प्रदान करना है।
3. दिसंबर, 2011 में, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के यूएसएसडी गेटवे के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के लिए दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) को यूएसएसडी कोड *99# आवंटित किया गया था। अप्रैल, 2012 में, भादूविप्रा ने अनिवार्य किया कि प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) को यूएसएसडी के मामले में अपने ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकों को यूएसएसडी का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। नवंबर, 2012 में, एनपीसीआई ने यूएसएसडी चैनल के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग को सक्षम करने के लिए यूएसएसडी गेटवे (नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म) लॉन्च किया। 2013 में, प्राधिकरण ने मोबाइल बैंकिंग (सेवा की गुणवत्ता) (संशोधन) विनियम, 2013 के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग लेनदेन को पूरा करने के लिए चरणों की अधिकतम संख्या दो से बढ़ाकर पांच कर दी।
4. दूरसंचार टैरिफ (छप्पनवां संशोधन) आदेश, 2013 के माध्यम से प्राधिकरण ने, यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग सेवा के लिए प्रति यूएसएसडी सत्र में रु. 1.50 की सीमा टैरिफ को निर्धारित किया और मोबाइल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए यूएसएसडी के उपयोग के लिए बैंकों के एजेंटों को एक्सेस सेवा प्रदाताओं के साथ इंटरफेस करने के लिए एक रूपरेखा की स्थापना की। इसके अलावा, वित्तीय समावेशन के लिए यूएसएसडी के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, प्राधिकरण ने दूरसंचार टैरिफ (इकसठवां संशोधन) आदेश, 2016 के माध्यम से बैंकिंग और भुगतान सेवाओं के लिए यूएसएसडी-आधारित उच्चतम सीमा टैरिफ को रु. 1.50 से घटाकर रु. 0.50 प्रति सत्र कर दिया और मोबाइल बैंकिंग (सेवा की गुणवत्ता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016 के माध्यम से प्रत्येक यूएसएसडी सत्र में चरणों की संख्या पांच से बढ़ाकर आठ चरणों में की गई। प्राधिकरण ने इस सेवा के उपयोग और लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए एनपीसीआई/बैंकों को सभी भुगतान प्लेटफॉर्म पर लेनदेन का समर्थन करने के लिए मॉफ्टवेयर सुविधाओं में सुधार, उपयोगकर्ता के अनुकूल मेनू का डिजाइन, उपभोक्ता जागरूकता में वृद्धि, एकीकृत यूएसएसडी प्लेटफॉर्म विकसित करने जैसे विभिन्न तंत्रों का भी सुझाव दिया।
5. इनके बाद, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भुगतान के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने और डिजिटलीकरण के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के उद्देश्य से डिजिटल भुगतान (सीडीडीपी) को गहरा करने पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। समिति ने इसे अपनाते और लोकप्रियता बढ़ाने के लिए यूएसएसडी शुल्कों को और युक्तिसंगत बनाने की सिफारिश की। आरबीआई ने प्राधिकरण से सीडीडीपी द्वारा की गई सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने और इसके लिए आवश्यक नियामक ढांचा प्रदान करने का आग्रह किया।
6. वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), भारत सरकार ने भी उच्च-स्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों का समर्थन किया और आम लोगों द्वारा विशेष रूप से ग्रामीण / कठिन क्षेत्रों, आबादी के वर्ग में इस सेवा को तेजी से अपनाने की सुविधा के लिए यूएसएसडी टैरिफ माफ करने का अनुरोध किया। तिनके लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खाता योजना की स्थापना की गई है। इस संदर्भ में डीएफएस के अनुरोध के बाद, प्राधिकरण ने यूएसएसडी शुल्कों को और अधिक युक्तिसंगत बनाने के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू की।
7. नवम्बर, प्राधिकरण ने 24 नवंबर, 2021 को दूरसंचार टैरिफ (66वां संशोधन) आदेश, 2021 पर मर्माया जारी किया, जिसमें मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवा के लिए प्रति यूएसएसडी सत्र "अन्य" टैरिफ का प्रस्ताव किया गया था। नर्सों के आदेश पर

- हितधारकों से टिप्पणियां और प्रति टिप्पणियां क्रमशः 8 दिसंबर, 2021 और 17 दिसंबर, 2021 तक मांगी गई थीं। प्रत्युत्तर में, एक संघ, चार सेवा प्रदाताओं और एक संगठन ने अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की और एक संगठन ने अपनी प्रति-टिप्पणी प्रस्तुत की।
8. कुछ हितधारकों ने तर्क दिया है कि चूंकि यूएसएसडी लेनदेन उनके नेटवर्क और बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हैं, वे इस सेवा को प्रदान करने में पूंजीगत व्यय के साथ-साथ परिचालन व्यय भी लागू करते हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि यदि यह सेवा मुफ्त की जाती है, तो उन्हें एनपीसीआई के माध्यम से बैंकों द्वारा इस खर्च के लिए पर्याप्त रूप से मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया कि यदि यूएसएसडी टैरिफ हटा दिए जाते हैं तो इस सेवा से संबंधित विनियामक दायित्वों को भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
 9. एक हितधारक ने यह भी सुझाव दिया कि यूएसएसडी के लिए टैरिफ को चरणबद्ध तरीके से कम किया जाना चाहिए ताकि संशोधित मूल्य निर्धारण और यूएसएसडी सेवाओं के उठाव के बीच किसी भी प्रत्यक्ष संबंध का पता लगाया जा सके।
 10. कुछ हितधारकों ने डिजिटल वित्तीय समावेशन में सहायता के लिए टैरिफ हटाने का समर्थन किया है।
 11. यूएसएसडी शुल्कों को अन्य सेवाओं के अनुरूप नाने के लिए उन्हें युक्तिसंगत बनाने के लिए, टीएसपी द्वारा दी जा रही प्रमुख सेवाओं के लिए टैरिफ के वर्तमान स्तर की जांच की गई। सितंबर, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए वायरलेस सेवा के लिए टैरिफ का वर्तमान स्तर नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका: सितंबर, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए वायरलेस सेवा का औसत टैरिफ

मद	वायरलेस सेवा के लिए मूल्य
आउटगोइंग वॉयस कॉल के लिए औसत टैरिफ (औसत आउटगोइंग प्रति आउटगोइंग मिनट)	₹. 0.04 प्रति मिनट
आउटगोइंग एसएमएस संदेश के लिए औसत टैरिफ	₹. 0.01 प्रति एसएमएस
नोट: उपरोक्त आंकड़े टीएसपी द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए आंकड़ों पर आधारित हैं	

12. उपरोक्त तालिका स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि मोबाइल बैंकिंग के लिए प्रत्येक यूएसएसडी सत्र के लिए ₹. 0.50 की वर्तमान उच्चतम सीमा टैरिफ आउटगोइंग वॉयस कॉल के एक मिनट के औसत टैरिफ के साथ-साथ एक आउटगोइंग एसएमएस की तुलना में काफी अधिक है।
13. साथ ही, राजस्व के मामले में, यूएसएसडी मोबाइल बैंकिंग सत्रों के माध्यम से उत्पन्न कुल राजस्व, उद्योग के कुल राजस्व का लगभग 0.00007% है।
14. यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस सेवा को प्रदान करने वाले टीएसपी द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 की लगातार दो तिमाहियों के लिए प्रस्तुत की गई जानकारी इंगित करती है कि सेल्फ-केयर सेवा के लिए यूएसएसडी सत्रों/कुल यूएसएसडी सत्रों का 99.5% हिस्सा है और 0.5% का शेष न्यूनतम हिस्सा, मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवाओं के लिए यूएसएसडी सत्रों से संबंधित है।
15. यह मान लेना तर्कसंगत है कि यूएसएसडी सेल्फ-केयर सेवा सत्र को संभालने में शामिल नेटवर्क लागत यूएसएसडी मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सत्र की लागत के समान है। फिर भी ये सेल्फ-केयर यूएसएसडी सत्र अंतिम-उपयोगकर्ताओं के लिए बिना किसी टैरिफ के उपलब्ध हैं जबकि यूएसएसडी मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवाओं पर अधिकतम टैरिफ लगाया जा रहा है।
16. इसके अलावा, एक ऑपरेटर वर्तमान में यूएसएसडी गैर-सेल्फ-केयर सेवा को निःशुल्क प्रदान कर रहा है, जबकि अन्य ऑपरेटर 0.50 रुपये प्रति सत्र के उच्चतम दर पर टैरिफ ले रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के विश्लेषण पर, यह देखा गया है कि टैरिफ नहीं लेने वाले ऑपरेटर के लिए यूएसएसडी मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सत्रों की संख्या, अधिकतम टैरिफ पर शुरू किए गए सत्रों की संख्या का चार गुना है। इस प्रकार, यह माना जा सकता है कि उपयोगकर्ता उस ऑपरेटर को प्राथमिकता देते हैं जो इन सेवा को निःशुल्क प्रदान करता है। यह प्राधिकरण के विश्लेषण की पुष्टि करता है कि इस सेवा के लिए टैरिफ में कमी आने से इन सेवा को संशोधित बनाने और इन्हें और अपनाने में मदद मिल सकती है।

¹ यूएसएसडी आधारित स्व-सेवा सेवा में शामिल दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा यूएसएसडी के उपयोग के माध्यम से अपने ग्राहकों को दी जाने वाली सेल्फ-केयर/सेल्फ-सेवा सेवाओं में से है। इस सेवा का उपयोग यूएसएसडी सत्रों द्वारा यूएसएसडी सत्र द्वारा उत्पन्न कुल राजस्व का एक सीमित हिस्सा, बहुत ही अल्प, इंगित राजस्व के विद्यमान आदि के साथ में शामिल किया जा सकता है।

17. प्राधिकरण का विचार है कि चूंकि यूएसएसडी लक्षित उपयोगकर्ता आम तौर पर कम आय वाली ग्रामीण आबादी हैं जो अभी भी फीचर फोन का उपयोग कर रहे हैं, यूएसएसडी सेवा के लिए कोई टैरिफ नहीं लगाने से यूएसएसडी लेनदेन की संख्या पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जो डिजिटल वित्तीय समावेशन प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह उद्योग के राजस्व को भी ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा, विशेष रूप से तब जब सेवा प्रदाताओं द्वारा मेलफ-केयर सेवाओं के लिए समान लेनदेन निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हों। इसलिए, प्राधिकरण ने शेष पहलुओं को अपरिवर्तित रखते हुए मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवा के लिए यूएसएसडी के लिए निर्धारित टैरिफ को समाप्त करने का निर्णय लिया है। प्राधिकरण सेवा की प्रगति पर नजर रखना जारी रखेगा और दो साल की अवधि के बाद प्रभार की समीक्षा कर सकता है।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2022

F. No. C/5/2021-FEA-II.—In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (2) of section 11, read with sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of the said section, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order further to amend the Telecommunication Tariff Order, 1999, namely:-

THE TELECOMMUNICATION TARIFF (SIXTY EIGHTH AMENDMENT) ORDER, 2022

(No. 3 of 2022)

1. Short title, extent and commencement:

- (1) This Order may be called the Telecommunication Tariff (Sixty Eighth Amendment) Order, 2022.
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Schedule II to the Telecommunication Tariff Order, 1999, under item (8), for sub-item (8.a), the following sub-item and entry relating thereto shall be substituted, namely: -

ITEM	TARIFF
"(8.a) Charge for outgoing USSD session for USSD-based mobile banking and payment services	Nil"

Dr. M.P. TANGIRALA, Pr. Advisor (F&EA)

[ADVT.-III/4/Exty./07/2022-23]

Note 1 – The Telecommunication Tariff Order, 1999 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 under notification No. 99/3 dated 9th March, 1999, and subsequently amended as given below: -

Amendment No.	Notification No. and Date
1 st	301-4/99-TRAI (Econ) dated 30.03.1999
2 nd	301-4/99-TRAI(Econ) dated 31.05.1999
3 rd	301-4/99-TRAI(Econ) dated 31.05.1999
4 th	301-4/99-TRAI(Econ) dated 28.07.1999
5 th	301-4/99-TRAI(Econ) dated 17.09.1999
6 th	301-4/99-TRAI(Econ) dated 30.09.1999
7 th	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 30.03.2000
8 th	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 31.07.2000
9 th	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 28.08.2000
10 th	306-1/99-TRAI(Econ) dated 09.11.2000
11 th	310-1(5)/TRAI-2000 dated 25.01.2001
12 th	301-9/2000-TRAI(Econ) dated 25.01.2001
13 th	303-4/TRAI-2001 dated 01.05.2001

14 th	306-2/TRAI-2001 dated 24.05.2001
15 th	310-1(5)/TRAI-2000 dated 20.07.2001
16 th	310-5(17)/2001-TRAI(Econ)dated 14.08.2001
17 th	301/2/2002-TRAI(Econ) dated 22.01.2002
18 th	303/3/2002-TRAI(Econ) dated 30.01.2002
19 th	303/3/2002-TRAI(Econ) dated 28.02.2002
20 th	312-7/2001-TRAI(Econ) 14.03.2002
21 st	301-6/2002-TRAI(Econ) dated 13.06.2002
22 nd	312-5/2002-TRAI(Eco) dated 04.07.2002
23 rd	303/8/2002-TRAI(Econ) dated 06.09.2002
24 th	306-2/2003-Econ dated 24.01.2003
25 th	306-2/2003-Econ dated 12.03.2003
26 th	306-2/2003-Econ dated 27.03.2003
27 th	303/6/2003-TRAI(Econ) dated 25.04.2003
28 th	301-51/2003-Econ dated 05.11.2003
29 th	301-56/2003-Econ dated 03.12.2003
30 th	301-4/2004(Econ) dated 16.01.2004
31 st	301-2/2004-Eco dated 07.07.2004
32 nd	301-37/2004-Eco dated 07.10.2004
33 rd	301-31/2004-Eco dated 08.12.2004
34 th	310-3(1)/2003-Eco dated 11.03.2005
35 th	310-3(1)/2003-Eco dated 31.03.2005
36 th	312-7/2003-Eco dated 21.04.2005
37 th	312-7/2003-Eco dated 02.05.2005
38 th	312-7/2003-Eco dated 02.06.2005
39 th	310-3(1)/2003-Eco dated 08.09.2005
40 th	310-3(1)/2003-Eco dated 16.09.2005
41 st	310-3(1)/2003-Eco dated 29.11.2005
42 nd	301-34/2005-Eco dated 07.03.2006
43 rd	301-2/2006-Eco dated 21.03.2006
44 th	301-34/2006-Eco dated 24.01.2007
45 th	301-18/2007-Eco dated 05.06.2007
46 th	301-36/2007-Eco dated 24.01.2008
47 th	301-14/2008-Eco dated 17.03.2008
48 th	301-31/2007-Eco dated 01.09.2008
49 th	301-25/2009-ER dated 20.11.2009
50 th	301-24/2012-ER dated 19.04.2012
51 st	301-26/2011-ER dated 19.04.2012
52 nd	301-41/2012-F&EA dated 19.09.2012
53 rd	301-39/2012-F&EA dated 01.10.2012
54 th	301-59/2012-F&EA dated 05.11.2012
55 th	301-10/2012-F&EA dated 17.06.2013
56 th	301-26/2012-ER dated 26.11.2013

57 th	312-2/2013-F&EA dated 14.07.2014
58 th	312-2/2013-F&EA dated 01.08.2014
59 th	310-5 (2)/2013-F&EA dated 21.11.2014
60 th	301-16/2014-F&EA dated 09.04.2015
61 st	301-30/2016-F&EA dated 22.11.2016
62 nd	301-30/2016-F&EA dated 27.12.2016
63 rd	312-1/2017-F&EA dated 16.02.2018
64 th	301-20/2018-F&EA dated 24.09.2018
65 th	301-03/2020-F&EA dated 03.06.2020
66 th	C-3/7(5)/2021-F&EA-1 dated 27.01.2022
67 th	C-3/7(5)/2021-F&EA-1 dated 31.03.2022

Note 2 – The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons for the Telecommunication Tariff (Sixty Eighth Amendment) Order, 2022.

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. The Telecom Regulatory Authority of India (hereinafter referred to as the Authority) is established under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (TRAI Act). Section 11(2) of the TRAI Act *inter alia* states: "Notwithstanding anything contained in the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Authority may, from time to time, by order, notify in the Official Gazette the rates at which the telecommunication services within India and outside India shall be provided under this Act including the rates at which messages shall be transmitted to any country outside India" thereby empowering the Authority to notify rates for various telecommunication services.
2. In exercise of these powers, the Authority has been notifying tariffs for various telecommunication services including Unstructured Supplementary Service Data (USSD) based mobile banking and payment service. The tariffs for USSD based mobile banking and payment service have been regulated in the form of ceiling tariffs prescribed by the Authority under item (8) of Schedule II of the Telecommunication Tariff Order 1999, as amended from time to time. The purpose of the present amendment to the TTO is to revise the framework for USSD based mobile banking and payment services. This explanatory memorandum aims to provide the rationale and reasons for issuing this amendment.
3. In December, 2011, Department of Financial Services (DFS) was allocated USSD code *99# by the Department of Telecommunication (DoT) for mobile banking services through the USSD gateway of National Payment Corporation of India (NPCI). In April, 2012, TRAI mandated that every Telecom Service Provider (TSP) should facilitate the banks to use USSD to provide banking services to its customers in not more than two stage entry of options in the case of USSD. In November, 2012, NPCI launched a USSD Gateway (National Unified USSD Platform) for enabling mobile banking through the USSD channel. In 2013, the Authority through the Mobile Banking (Quality of Service) (Amendment) Regulations, 2013, increased the maximum number of stages for completing a mobile banking transaction from two to five, primarily to increase the number of banking services available to USSD consumers.
4. The Authority through Telecommunication Tariff (Fifty Sixth Amendment) Order, 2013, prescribed a ceiling tariff of Rs. 1.50 per USSD session for USSD-based mobile banking service and established a framework to facilitate the agents of the banks to interface with the access service providers for use of USSD to provide mobile banking services. Further, with a view to facilitate mobile banking through USSD for financial inclusion, the Authority reduced the USSD-based ceiling tariff for banking and payment services from Rs. 1.50 to Rs. 0.50 per session through the Telecommunication Tariff (Sixty First Amendment) Order, 2016 and increased the number of stages from five to eight stages per USSD session through the Mobile Banking (Quality of Service) (Second Amendment) Regulations, 2016. The Authority also suggested various mechanisms viz., improvement in software features, design of user-friendly menu, increase in consumer awareness, developing Unified USSD platform to support transactions across all payment platforms to the NPCI Banks to increase usage and popularity of this service.
5. Subsequently, the Reserve Bank of India (RBI) constituted a High-Level Committee on Deepening of Digital Payments (CDDP) with the objective of encouraging digitization of payments and enhancing financial inclusion through digitization. The committee recommended further rationalization of USSD charges to increase its adoption and popularity. RBI urged the Authority for a follow-up action on the recommendations made by CDDP and provide the required regulatory framework for the same.

- 6 Government of India, Department of Financial Services (DFS) also supported the recommendations made by the High-Level Committee and requested for waiving off USSD charges to facilitate faster adoption of this service by common people especially in rural/ difficult areas, the segment of population for whom the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) Accounts scheme has been established to promote financial inclusion. Following a request from the DFS in this regard, the Authority initiated a consultation process to further rationalize USSD charges.
- 7 Accordingly, the Authority issued draft Telecommunication Tariff (66th Amendment) Order, 2021 on 24th November, 2021 proposing "Nil" charges per USSD session for mobile banking and payment service. The comments and counter comments on the draft Order were sought from the stakeholders by 8th December, 2021 and 17th December, 2021 respectively. In response, one association, four service providers and one organization furnished their comments and one organization submitted its counter comment.
- 8 Some stakeholders have contended that since USSD transactions make use of their network and infrastructure, they incur capex investment as well as operational expenditure in providing this service. They further argued that in case this service is made free of cost, they must be adequately compensated for this expenditure by banks through NPCI. Additionally, a few stakeholders suggested that in case USSD charges are removed then the regulatory obligations related to this service should also be done away with.
- 9 One stakeholder also suggested that the charges for USSD should be brought down in a phased manner to ascertain any direct correlation between the revised pricing and uptake of the USSD services.
10. Some stakeholders have favored the removal of charge to aid digital financial inclusion.
11. In order to rationalize USSD charges to bring them in line with other services, the present level of tariffs for the major services being offered by the TSPs was examined. The present level of tariffs for wireless service for the quarter ended September, 2021 is indicated in the Table below:

Table: Average tariffs for wireless service for the quarter ended September, 2021

Item	Value for wireless service
Average tariff for outgoing voice call (Average outgo per outgoing minute)	Re. 0.04 per minute
Average tariff for outgoing SMS message	Re. 0.01 per SMS
Note: The above figures are based on data submitted by the TSPs to the Authority	

12. The above table clearly indicates that the present ceiling tariff of Rs. 0.50 for each USSD session for mobile banking is quite high as compared to the average tariff for one minute of outgoing voice call as well as for one outgoing SMS.
13. Also, in terms of revenue, the total revenue generated through USSD mobile banking sessions is quite small at approximately 0.00007% of the total revenue of the industry.
14. It is also pertinent to note that the information furnished for two consecutive quarters of F.Y 2021-22 by the TSPs providing this service indicates that the USSD sessions for self-care service^[2] constitute 99.5% of the total USSD sessions and the remaining miniscule share of 0.5% pertains to USSD sessions for mobile banking and payment services.
15. It is logical to assume that the network cost involved in handling USSD self-care service session is the same as the cost for USSD mobile banking and payment session. Still these self-care USSD sessions are available without any charge to the end-users whereas USSD mobile banking and payment services are being charged at the ceiling tariff.
16. Further, one operator is providing USSD non-self-care service free of charge at present whereas, other operators are charging at the ceiling tariff of Rs. 0.50 per session. On analysis of the information available, it is observed that the number of USSD mobile banking and payment sessions, for the operator that doesn't charge, is four times the number of sessions initiated at ceiling tariff. Thus, it can be assumed that the users prefer the operator providing this service free of charge. This substantiates the analysis of the Authority that a reduction in charge for this service may help popularize this service and increase its adoption.

[2] USSD based self-care service refers to the self-care/ self-help/ self-support services offered by the telecom service providers to their subscribers through the use of USSD. This service is used by USSD subscribers to seek information on pre-paid balance, validity period, details of tariff plan etc. by dialing a USSD code.

17. The Authority is of the view that since the USSD target users are generally low-income rural population who are still using feature phones, imposing no charge for USSD service can have a positive impact on number of USSD transactions, which will be a significant step towards achieving digital financial inclusion. It will also not impact the revenues of the industry substantially, especially when similar transactions for self-care services are being provided free by the service providers. Therefore, the Authority has decided to do away with the charges prescribed for USSD for mobile banking and payment service, while keeping the remaining aspects unchanged. The Authority will continue to keep a watch on the progress of service and may review the charge after a period of two years.